न्यायालय- श्रीमान राजस्व मण्डल बोर्ड, ग्वालियर म0प्र0

निग0 13705-II-15

मथुरा वल्द नन्ने अहीर

निवासी- ग्राम हलावनी, तह0 घुवारा, जिला छतरपुर म0प्र0

...आवेदक/निगरानीकर्ता

// बनाम //

श्री रजनी वशिष्ठ शर्मा एड0 द्वारा आज दि. 16-11-15 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 16-11-15
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

1. रामसिंह वल्द चिन्ना यादव

2. हीरालाल वल्द बलुआ अहीर

3. गोरेलाल वल्द बलुआ अहीर

4. राजाराम वल्द स्व0 मानसिंह यादव

5. नन्नीबाई बेवा फुल्ला यादव

सभी निवासी- ग्राम हलावनी, तह0 घुवारा, जिला छतरपुर म0प्र0

...... अनावेदक गण.

16-11-15

आवेदनपत्र/निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू- रा0 संहिता

महोदय,

आवेदक/निगरानीकर्ता निम्न प्रार्थी हैं :-

1. यह कि, उक्त निगरानी योग्य अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के प्र0क्र0- 822/अ-6-अ/ वर्ष 2014-15 में पारित आदेश दिनांक- 6.10.15 से परिवेदित होकर सम्मा0 न्यायालय के समक्ष आवेदक निगरानी प्रस्तुत कर रहा है ।

2. यह कि, योग्य अधी0 न्यायालय अपर आयुक्त द्वारा, अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय बड़ा मलहरा के प्रकरण क्र0- 136/अपील/2013-14 में पारित आदेश दिनांक- 7.9.2015 का विधिवत अवलोकन ना कर सरसरी तौर पर आदेश पारित करने में महान भूल की है जिस कारण से पारित आदेश दि0-6.10.15 विधिसंगत न होने ... में अति आवश्यक है ।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 3705–दो/15 **जिला** –छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभा आदि के हस्ताक्षर
16.11.15	आवेदक के अधिवक्ता श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा उपस्थित । उनके द्वारा प्रकरण की ग्राह्यता पर तर्क प्रस्तुत किये । उनके द्वारा अपने तर्क में बताया गया है कि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की सत्यप्रतिलिपि प्रस्तुत की गई है, उसमें अपर आयुक्त सागर संभाग सागर द्वारा दिनांक 6.10.15 को अनुविभागीय अधिकारी बड़ा मल्हरा के आदेश दिनांक 7.9.15 का आगामी आदेश तक स्थगित किया गया है । म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 52 के विधि संगत नहीं है । 2– मेरे द्वारा अधिवक्ता के तर्क श्रवण किये तथा संलग्न अपर आयुक्त के आदेश की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया । अपर आयुक्त द्वारा स्थगन देने से पहले कहीं भी इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है कि आवेदक को अगर स्थगन नहीं दिया जाता तो कौनसी ऐसी क्षति होती, इसका अपर आयुक्त महोदय द्वारा कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है । 3– अतः अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के प्र0क0 822/अ–6 अ/14–15 में दिनांक 6.10.15 को दिया गया स्थगन निरस्त किया जाता है । प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि प्रकरण का तीन माह में आदेश पारित करें । सदस्य	16-11-15